न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ. सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 43/2019 तारीख रजू 25.11.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. कुलदीप गौतम पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गौतम जाति ब्राम्हण (विक्रेता व मालिक) फर्म–लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, रणथम्भौर किला, सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर निवासी पुरानी अनाज मण्डी रोड, सवाई माधोपुर, सवाईमाधोपुर (राज0)

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 30/9/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 31.08.2019 को समय लगभग 12.30 पी.एम. पर श्री गणेशजी मेले के दौरान दौराने गश्त फर्म–लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, रणथम्भौर किला, सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर पर श्री गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहाँ पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम कुलदीप गौतम पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गौतम जाति ब्राम्हण बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया। कुलदीप गौतम अपनी दुकान पर बेसन के लड्डू व अन्य मिठाई आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने विक्रेता से दुकान का वर्ष 2019 का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं स्वयं का परिचय पत्र दिखाने को कहा तो विक्रेता ने दुकान का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन व स्वयं का आधार कार्ड दिखाया तथा उनकी एक–एक प्रति आवेदक को दी। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु बेसन के लड्डू चार एल्यूमिनियम की ट्रे में जिसमें प्रत्येक ट्रे में लगभग 10 किलो बेसन के लड्डू थे, रखे हुए थे। एफबीओ कुलदीप गौतम ने बेसन के लड्डू बेसन, घी व बूरा से निर्मित करना बताया। एल्यूमिनियम की ट्रे में रखे हुए बेसन के लड्डूओं का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता कुलदीप गौतम से एल्यूमिनियम की ट्रे में रखे हुए बेसन के लड्डूओं (बेसन, घी व बूरा निर्मित) में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये [illegible] हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक ने दुकान पर एक एल्यूमिनियम की ट्रे में रखे हुए बेसन के लड्डूओं (बेसन, घी व बूरा निर्मित) में से 2 किलो बेसन के लड्डू (बेसन, घी व बूरा निर्मित) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 560/– रूपये अक्षरे पांच सौ साठ रूपये नगद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:13 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करने पर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलो बेसन के लड्डू .(बेसन, घी व बूरा निर्मित) को अच्छी तरह मिक्स कर चार साफ सूखी व खाली कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में फॉर्मेलीन की 40–40 बूंद डालकर चारो शीशीयों के ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बंद किया तथा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाकर एवं चारों नमूना भागो को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच–1658 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर तथा धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार कर जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग–अलग से सील्ड लिफाफे में श्री कैलाश सैन, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने की दो सील बन्द शीशी (i व ii पार्ट) व फार्म नं0 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द शीशी (iv पार्ट) व फार्म नं0 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 02.09.2019 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को स्वयं जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र कमांक एफएसएसए/2019/2184 दिनांक 19.09.2019 ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2002/एक्ट/2019/1542 दिनांक 11.09.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य वस्तु बेसन के लड्डू (बेसन, घी व बूरा निर्मित) का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard Food) प्रकृति का पाया गया।

अतः प्रकरण में विक्रेता द्वारा अवमानक स्तर (Sub Standard Food) की खाद्य वस्तु बेसन के लड्डू (बेसन, घी व बूरा निर्मित) का निर्माण एवं विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त द्वारा आज दिनांक 30.09.2022 को उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी गलती स्वीकार कर न्यूनतम शास्ति से दण्डित कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने बाबत निवेदन करने पर पत्रावली तल[illegible]कर आज दिनांक 30.09.2022 को पेश हुयी। पत्रावली पेश होने पर अभियो[illegible] की [illegible] सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:13 IST
Reason: SelfAttested

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आ[illegible] पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि [illegible]ण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य वस्तु बेसन के लड्डू (बेसन, घी व बूरा निर्मित)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है। अतः अभियुक्त पर अधिकत्तम शास्ति से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य वस्तु बेसन के लड्डू (बेसन, घी व बूरा निर्मित) को निम्न स्तर की माना जाकर स्वंय द्वारा जुर्म स्वीकार किया है तथा भविष्य में निम्न स्तर का खाद्य पदार्थ का आगे विक्रय नहीं करने हेतु बहस में निवेदन कर न्यूनत्तम शास्ति के दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/2002/एक्ट/2019/1542 दिनांक 11.09.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2002/एक्ट/2019/1542 दिनांक 11.09.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु बेसन के लड्डू (बेसन, घी व बूरा निर्मित) सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया है जिसको अभियुक्त द्वारा स्वंय ने अपने जवाब/बहस में स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य वस्तु बेसन के लड्डू (बेसन, घी व बूरा निर्मित) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 35,000/—रू0 (अक्षरे पैंतीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/9/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:13 IST
Reason: SelfAttested